

भारत में कृषि विकास के लिए नीति-निर्माण की भूमिका - एक अध्ययन

राम मिलन द्विवेदी

सह-प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय कृषि के विकास हेतु वर्तमान निर्मित कृषि नीति, में हुए सुधारों का विश्लेषण किया गया है और इन नीतियों का कृषि विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि, ई-नाम, कृषि उपज और मूल्य आश्वासन समझौता एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली, में सुधार जैसे प्रमुख नीतिगत बदलावों की विवेचना की गई है। साथ ही आंकड़ों के माध्यम से इन सुधारों की प्रभावशीलता को दर्शाया गया है एवं भविष्य में देश में होने वाले भारी सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनों के हिसाब से सुझाव दिए गए हैं। कि भविष्य में किसान कृषि विकास को लेकर चिंतित ना हो और कृषि उपज में निरंतर प्रगति होती रहे। अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रभावशाली एवं समावेशी नीतियां केवल कृषि में, न केवल उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करती हैं, बल्कि मौसमी परिवर्तन भूमि, की उर्वरकता, जल का दोहन, बाजार की सीमितता, जैसी चुनौतियों का सामना करने में भी कारगर साबित होती हैं।

इसके लिये देश के प्रमुख नीति नियंत्रणों एवं सरकार को धरातल पर दिखने वाली किसानों की समस्याओं को दूर करने वाली नीतियों का निर्माण करना चाहिये। यह अनुसंधान यह बताता है कि किस प्रकार की नीतियां किसानों के हित में जमीनी स्तर पर कार्य करके उन्हें उनके टिकाऊ विकास में दीर्घ कालिक कृषि के विकास का मार्ग बना सकती हैं।

मुख्य शब्द

कृषिनीति, कृषि विकास, खेती, प्रभाव, सुधार, परिवर्तन।

परिचय

भारत में चाहे राजनीतिज्ञ हो, या कोई अर्थशास्त्री या फिर खेती व संबद्ध विषयों पर लिखने वाला पत्रकार यह सभी, लोगों को यह याद दिलाना कभी भी नहीं भूलते कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, और यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण है, कि इसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता, यही वजह है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना वक्तव्य देता है लेखन करता है, या कम्प्यूटर पर कुछ टाइप करता है तो वह इस बात को अवश्य दोहराता है कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। कुछ भी हो कृषि शब्द की प्रतिक्रिया मिश्रित होती है। जब हम देखते हैं कि भारत में कितने कृषि वैज्ञानिकों और नीति नियंताओं के प्रयासों के फलस्वरूप ही कृषि का विकास संभव हुआ है।

कृषि नीति एक ऐसी सरकारी रूपरेखा होती है, जिसमें कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लक्षित, कार्यक्रमों, योजनाओं और नियमों का समावेश होता है। यह नीति उत्पादन वितरण मूल्य निर्धारण निर्यात, अनुसंधान, विपणन तथा किसानों के कल्याण से जुड़ी होती है। वर्तमान कृषि का स्वरूप जो हमारे सामने है। वह कितने नीति नियंत्रण वैज्ञानिकों के प्रयासों के फलस्वरूप खाद्यान्नों की हमारी पैदावार जो 1950-51 में मात्र 50.8 मिलियन टन थी वह वर्तमान 2023-24 में 330.6 मिलियन टन हो गई है। इसमें सबसे पहले बड़ी प्रतिक्रिया उत्साह की होती है, लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया चिंता की है, क्योंकि हमारे देश भारत की जनसंख्या 144 करोड़ तक पहुंच गई है। अतः इस संदर्भ में हमें और कोशिश करनी होगी।

अध्ययन के उद्देश्य

1. कृषि नीतियों का ऐतिहासिक एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण।
2. कृषि विकास पर नवीन कृषि नीतियों का प्रभाव।
3. प्रमुख नीतिगत पहल कृषि नीति से संबंधित।
4. प्रमुख सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

इस शोध पत्र में आवश्यकता अनुसार प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोतों का समावेश किया गया है। जिसमें सरकारी, रिपोर्ट, नीति दस्तावेज, नीति आयोग रिपोर्ट, कृषि एवं किसान कल्याण एन. एस. एस. ओ. आदि के आंकड़े प्रयोग में लाए गए हैं। कुछ किसानों से भी बातचीत करके जानकारी को सम्मिलित किया गया है।

भारत में कृषि नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कृषि नीति का असल रूप में शुभारंभ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही शुरू हो गया था, क्योंकि हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950-51 से 1956 तक में कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिकता दी गई थी, इस प्रथम व प्रारंभिक काल में सरकार का ध्यान भूमि सुधार कार्यक्रम, जमींदारी उन्मूलन, भू-सीमा निर्धारण आदि, पर किए गए तथा साथ ही साथ खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु सामाजिक नियंत्रण की नीतियों को लागू किया गया।

हरित क्रांति से पूर्व व उसके पश्चात

ऐसा लगता है कि 80 के दशक के मध्य हरित क्रांति की गति कुछ थम सी गई थी, यह एक चिंता का विषय था। इसका अर्थ यह हुआ की 1 साल से दूसरे साल में खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में उतनी तीव्र वृद्धि नहीं हो सकी थी जितनी कि पिछले डेढ़ दशक में देखने को मिली थी। सन् 1960-61 में पैदावार 8 करोड़ 20 लाख टन से कुछ ही अधिक थी, जो 1970-71 में छलांग मार कर 10 करोड़ 84 लाख टन से कुछ अधिक हो गई। स्पष्टतः यह हरित क्रांति का प्रभाव था। आंकड़ों के अनुसार पैदावार 1963-64 तक कामोवेश इसी स्तर पर बनी रही। लेकिन पैदावार घटकर 8 करोड़ 7 लाख टन पर आ गई। 1964-65 में स्थिति सुधरी और पैदावार 8 करोड़ 94 लाख टन तक पहुंच गई तत्पश्चात 1965 और 1966 में लगातार 2 वर्ष तक मानसून की सफलता का जोरदार झटका लगा और 1965- 66 में पैदावार घटकर मात्र 7 करोड़ 23 लाख टन रह गई और 1966-67 में 7 करोड़ 42 लाख टन ये वह वर्ष थे, जब हमें भारी मात्रा में अनाज का आयात करना पड़ा। 1966 में ही लगभग एक करोड़ टन अनाज का आयात किया,

लेकिन उसके बाद हरित क्रांति आई सन् 1967-68 में पैदावार में भारी वृद्धि हुई और यह 9 करोड़ 51 लाख टन पहुँच गई। अर्थात् 1 वर्ष में 2 करोड़ 30 लाख टन की वृद्धि हुई वर्ष 1969-70 में यह बढ़कर 9 करोड़ 95 लाख टन तक पहुँच गई जबकि इससे पिछले वर्ष यह 9 करोड़ 40 लाख टन थी। 1970 -71 के जो आंकड़े ऊपर दिये गये हैं। उनसे पता चलता है, कि एक वर्ष में ही एक बार फिर 90 लाख टन की पैदावार की वृद्धि हुई। लेकिन बाद के पाँच वर्षों में पैदावार में वास्तव में कमी आई 1974-75 में यह केवल 9 करोड़ 98 लाख टन रही कारण था, खराब मानसून, वर्ष 1972 का मानसून तो विशेषकर अत्यंत ही प्रतिकूल सिद्ध हुआ। इन खराब वर्षों में भी पैदावार हरित क्रांति के आरम्भिक वर्षों की पैदावार के स्तर से कम नहीं रही इसका कारण था कि प्रतिकूल वर्षा स्थितियों में भी हरित क्रांति के बूते पर ही पैदावार बनी रही 1975 की प्रचुर वर्षा ने एक बार फिर भारतीय कृषि को सही मार्ग पर ला दिया तथा अगले चार वर्षों में अधिकतम पैदावार 1975-76 के 12 करोड़ 10 लाख टन से बढ़ते-बढ़ते 1978-79 में 13 करोड़ 14 लाख टन तक आ गई।

इसके बाद आया 1979 का विनाशकारी सूखा, जिसने पैदावार को घटाकर लगभग 10 करोड़ 90 लाख टन पर ला पटका, यानी एक वर्ष में ही उत्पादन में 2 करोड़ 20 लाख टन की कमी आ गई। फिर भी पैदावार में इस तीव्र गिरावट के कारण आयात करने की नौबत नहीं आयी। यह भारत की एक अद्वितीय सफलता भी इसका कारण था केन्द्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य वसूली एजेंसियों की मेहरबानी से केंद्र में 1 जुलाई 1979 को 2 करोड़ 10 लाख टन से अधिक का अनाज भंडार था। इस प्रकार नीतियों ने, जिनके परिणामस्वरूप 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम स्थापित हुआ और जिसके कारण सरकार द्वारा प्रतिवर्ष अनाज के आकर्षण वसूली मूल्यों की घोषणा होती रही, दोनों ने मिलकर भुखमरी को दूर कर दिया और वर्तमान शताब्दी के 21वें दशक के अंत तक भारत को खाद्यानों के मामले में, आत्मनिर्भर बना दिया।

अनाज उत्पादन की दृष्टि से अस्सी के दशक को विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता ऐसा लगता है कि अस्सी के दशक के मध्य से हरित क्रान्ति की गति कुछ कम सी हो गई थी, तथा यह निश्चय ही चिन्ता का विषय था, इसका अर्थ यह हुआ एक साल के दूसरे साल

में खाद्यानों के कुल उत्पादन में उतनी तीव्र वृद्धि नहीं हो सकी जितनी कि पिछले डेढ़ दशक में देखने में आयी थी।

सन् 2030 तक आवश्यकताएं

आने वाले पांच वर्षों में हमें अधिकतम खाद्यान्न की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि जिस कदर जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में हमारे पास खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है, कई वैज्ञानिक और अर्थशास्त्रियों ने वर्ष 2030 में 54 करोड़ टन अनाज की खपत का अनुमान लगाया है। कुछ और भी अनुमान हैं जिसके अनुसार इससे भी अधिक अनाज की आवश्यकता 2030 तक पड़ सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय किसान व कृषि वैज्ञानिक यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर के अनुसार सन् 2030 तक अनाज की पैदावार 54 करोड़ टन तक पहुँच जायेगी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसान, वैज्ञानिकों नीति निर्माताओं को गहन चिंतन करना होगा, तभी भारत में खाद्यान्न की पूर्ति आने वाले 5 वर्षों में हो सकती है। जैसा कि आज हम जानते हैं कि सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है। तथा जैव-प्रौद्योगिकी और अनुवांशिक इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में सुधार हुये हैं तथा हो रहे हैं। जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी वास्तव में इन बातों के आधार पर देश में अनाज पैदावार क्षमता बढ़ी है।

मसौदा कृषि नीति

केन्द्र सरकार के केन्द्रीय मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित कृषि नीति प्रस्तावों व प्रस्तावों के संशोधित मसौदे में कृषि से संबंधित लक्ष्यों की चर्चा कि गई है। इस मसौदे के बारे में सबसे सुखद बात यह थी कि इस बात को दुहराया गया कि "भारत के नियोजित सामाजिक- आर्थिक विकास की सभी कार्य-नीतियों का केन्द्र पर अपनी संपूर्णता में कृषि विकास ही है। यह देखकर राहत मिलती है कि सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के वर्तमान परिपेक्ष्य और उद्योगों के निजीकरण की इस अवस्था में भी कृषि को इतनी प्राथमिकता आज से करीब 30 वर्ष पूर्व प्रदान की गई थी। कृषि विकास के लिये भारत सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये गये थे, जिससे लक्षित होता है, कि कृषि के प्रति सरकारे पहले से ही कार्य कर

रही है। कुछ वर्षों को अगर छोड़कर कृषि की पैदावार भी ठीक ठाक रही है। मसौदे में देश में कृषि क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत कम से कम 17 चुनौतियों को स्वीकारा गया है। इसमें से मेरे हिसाब से पहले जो दो चुनौतियां हैं तो इस क्षेत्र के और विकास की किसी भी चर्चा के लिए सर्व प्रमुख हैं। ये है बढ़ती जनसंख्या के लिए सुरक्षित अन्न भंडार सुनिश्चित करने की दृष्टि से खेती की पैदावार व पैदावार क्षमता बढ़ाना और उन क्षेत्रों का विकास करना, जिनकी क्षमता का अभी उपयोग ही नहीं किया जा सका है, ताकि पूर्वी पर्वतीय वर्षा-सिंचित और सूखा-संभावित क्षेत्रों के विकास के असंतुलनों को दूर किया जा सके। भू-स्वामित्व जोतो जन-संसाधनों कुपोषण की समस्या से जूझना, खेतिहर उत्पादों का प्रसंस्करण, सहकारी संस्थाओं को पुनर्जीवित करना, कृषि अनुसंधान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उन्नत बीज, कृषि मशीनरी यंत्र तथा व्यापार की शर्तों को कृषि के अनुरूप बनाना और कुछ अन्य चुनौतियां हैं जिनकी चर्चा मसौदे में की गई है। पैदावार व पैदावार क्षमता बढ़ाने की पहली चुनौती से वैज्ञानिक और किसान साठ के दशक के मध्य से जूझने का काम करते ही चले आ रहे हैं। हम इन दो उद्देश्यों की तत्काल पूर्ति की आवश्यकता से परिचित हैं ही।

भारत की कृषि नीतियों का विकास क्रम:- तालिका क्रमांक- 01

सन्	प्रमुख नीतिगत पहल	उद्देश्य
1947-1960	भूमि सुधार नीति सहकारी समितियां खाद्य सुरक्षा प्रयास	जमींदारी उन्मूलन भूमि का वितरण खाद्यान्न उत्पादन की शुरुआत
1960-1980	हरित क्रांति, न्यूनतम समर्थन मूल्य, की शुरुआत सिंचाई परियोजनाएं	कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि मुख्य रूप से गेहूँ चावल में आत्मनिर्भरता
1980-2000	राष्ट्रीय कृषि नीति 2000	विपणन सुधार बैंक ऋण विस्तार 4 प्रतिशत कृषि वृद्धि दर किसानों को बाजारों से जोड़ना
2000-2014	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन -न्यूनतम समर्थन मूल्य विस्तार	खाद्यान्न सुरक्षा राज्यों को कृषि निवेश की स्वतंत्रता
2024-2025	मसौदा नीति निजी निवेश प्रोत्साहन	एक राष्ट्र एक पारदर्शी विपणन प्रणाली किसानों को बाजार बीमा सुरक्षा योजना

स्रोत-भारतीय कृषि मंत्रालय- भारत सरकार -2024

नीति निर्माण का प्रभाव

भारत में समय-समय पर किये गये कृषि नीतियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से प्रभाव देखने को मिला है।

तालिका क्रमांक 02 भारत में कृषि उत्पादकता में परिवर्तन (प्रमुख फसलें) 2000-2020
किग्रा/प्रति हेक्टेयर

फसल	2000	2010	2020	वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में
गेहूँ	2700	3200	3500	1.9
धान	2200	2600	3000	2.1
मक्का	1800	2300	2800	2.7

स्रोत- कृषि मंत्रालय कृषि एजेंडा-2020

किसानों की आय पर प्रभाव

सरकार के द्वारा किसान कल्याण से सम्बंधित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें यहां पर प्रमुख योजना किसान सम्मान निधि के प्रभाव को देखा गया है-

तालिका क्रमांक-03 पी.एम.किसान योजना के अर्न्तगत लाभार्थी किसान (2020-2024)

वर्ष	लाभार्थी किसान करोड में	वितरित राशि
2020	8.5	56000
2021	10.2	63000
2022	10.8	68000
2023	11.1	72000

स्रोत- पी.एम.कल्याण पोर्टल-2023

अभी तक प्राप्त आकड़ों के हिसाब से किसान सम्मान निधि योजना से 10 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, अब तक कुल 2.6 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। जिससे किसानों को अंशिक रूप से फसलों हेतु छोटे-मोटे खर्चों में धन की आवश्यकता के पूरी हुई है यह प्रभाव देखने को मिला है।

फसल बीमा और ऋण सहायता

इस योजना के अंतर्गत अभी तक 4 करोड़ से भी अधिक किसानों को लाभ मिला चुका है एवं इसके साथ ही कम ब्याज दर पर कृषि कार्य हेतु ऋण की सुविधा भी किसानों को उपलब्ध हुई है जैसे किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण न्यूनतम 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध हो रहा है।

कृषि और अवसंरचना निधि

भारत सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत 47500 करोड़ से भी अधिक की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। एवं 30000 करोड़ का वितरण भी हो गया है, इससे कृषकों की तैयार फसलों को सुरक्षित रखने में मदद मिली है, फसल नुकसान में भी कमी आई है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकार लगातार प्रतिवर्ष मुख्य फसलों हेतु न्यूनतम मूल्य निर्धारण करती है 2013-14 की तुलना में 2022-23 में धान एवं गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः 172 प्रतिशत 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मोटे अनाजों के लिए भी दुगुनी वृद्धि से अधिक देखने को मिली है।

डिजिटल कृषि मिशन

भारत सरकार द्वारा 2021 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का प्रयोग कर कृषि को अधिक उपयोगी व लाभप्रद बनाना कृषि के आंकड़े डिजिटल रूप में संग्रह करना एवं ए. आई. और जी. आई. एस. जैसी उन्नत तकनीक को कृषि में अपनाना। इस योजना हेतु 2021 - 2025 तक 2817 करोड़ का बजट आवंटित किया गया जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों का हिस्सा अलग-अलग है।

प्रमुख चुनौतियां

नई कृषि नीतियों के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां भी देखने को मिली है, जिनका यदि समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में इन कृषि नीतियों का प्रभाव कम हो सकता है। जिसमें प्रमुख हैं, नीतियों का आसमान कार्य वायन, सूक्ष्म एवं लघु किसानों तक लाभ न पहुंचना जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, कृषि में निजी निवेश की कमी।

महत्वपूर्ण सुझाव

1. नीतियों का विकेंद्रीकरण एवं स्थाई करण होना चाहिए।
2. जलवायु- स्मार्ट कृषि नीतियों का निर्माण किया जाना चाहिए।
3. किसानों को बाजार से जोड़ने वाली नीति ई-नाम का विस्तार किया जाना चाहिए।
4. कृषि नीतियों के निर्माण में कृषक संगठनों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत एक विकासशील देश है यहां पर कृषि के विकास को आगे बढ़ाने हेतु सरकारी नीतियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों से सरकार ने कृषि व किसान कल्याण पर अच्छी पहल की है, परंतु नीतियों का प्रभावित तरीके से लागू करना अति आवश्यक है। इतनी विशाल उपजाऊ भूमि, वर्ष भर धूप, प्रचुर जल संसाधन और समर्पित वैज्ञानिकों की फौज व करोड़ों मेहनती किसानों वाला यह देश भारत सहज ही विश्व की एक कृषि शक्ति बन सकता है। यह बेकार की बात है कि क्या भारत औद्योगिक या सैन्य शक्ति बन सकता है या उसे बनना चाहिए? भारत को पहले तो जैसा कि अमेरिका है वैसे ही एक कृषि शक्ति बनना होगा। तब ही महाशक्ति बनने का मार्ग प्रशस्त होगा, इसके लिए सामूहिक रणनीति, देखरेख व्यवस्था, और कृषक केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ

1. मिश्रा एस. के. एवं पुरी. बी.के. (2023) भारतीय अर्थव्यवस्था- हिमालय पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
2. योजना आयोग, भारत सरकार (2017) पंचवर्षीय योजनाएं अंक 5 योजना आयोग भारत सरकार।
3. रुद्र दत्त एवं सुंदरम (2019) भारतीय अर्थव्यवस्था एस चंद कंपनी नई दिल्ली।
4. हनुमंथा. राव. (2016) कृषि विकास, ग्रामीण गरीबी और पर्यावरणीय हास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस नई दिल्ली।
5. गोस्वामी बी. के. (2016) आधुनिक कृषि का सिद्धांत डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
6. यादव पी.के. (2016) कृषि प्रबंधन एवं कृषि बाजारी करण रावत पब्लिकेशन जयपुर।
7. वार्षिक रिपोर्ट (2023) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।